संख्या–3634 / 9–आ–3–97–12 विविध / 97

प्रेषक **श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 13 अप्रैल, 1998

विषय : हरित पट्‌टी में आवासीय में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 1026 / 9–आ–3–96, दिनांक 11.3.96 शासनादेश संख्या–1060 / 9–आ–3–96, दिनांक 27.3.96 व शासनादेश संख्या–1464 / 9–आ–3–97, दिनांक 17.4.97 द्वारा ग्रीनबेल्ट से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु प्राधिकरण द्वारा घोषित आवासीय दर का या प्राधिकरण की कालोनी के बाहर जिलाधिकारी द्वारा घोषित सर्किल रेट का 50 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क आवेदक से वसूल किए जाने का प्राविधान रखा गया हैं पुनश्च शासनादेश संख्या–4900 / 9–आ–3–96–60 एल.यू.सी. / 96, दिनांक 26.12.96 में ग्रीनबेल्ट से आवासीय में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु परिवर्तन शुल्क 75 प्रतिशत लिए जाने का उल्लेख किया गया है। यह उल्लेख त्रुटिवश अंकित है जिसे 75 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत होना चाहिए। अतः उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 26.12.96 के प्रथम प्रस्तर के अन्तिम वाक्य में उल्लिख्ति ग्रीनबेल्ट से आवासीय में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की दर 75 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत पढ़ा जाए। शासनादेश दिनांक 26.12.96 तद्‌नुसार संशोधित किया जाता है।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–3634(1) / 9–आ–3–97 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, ।
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. आवास बन्धु विकास भवन, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
एच. पी. सिंह
अनु सचिव